पत्र संख्या–6 / योजना–01–56 / 2016गृ0आ0........................... /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद

सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक अक्टूबर, 2016

विषयः– **राज्य योजनान्तर्गत भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में नवनिर्मित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपकरणों के क्रय हेतु लागत राशि ₹ 412.00 लाख (चार करोड़ बारह लाख रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल बजट में उपबंधित राशि ₹ 3,93,79,360 (तीन करोड़ तिरानवे लाख उनासी हजार तीन सौ साठ रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–808 / आपूर्ति, दिनांक–29.07.2016 के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में नवनिर्मित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपकरणों के क्रय हेतु लागत राशि ₹ 412.00 लाख (चार करोड़ बारह लाख रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल बजट में उपबंधित राशि ₹ 3,93,79,360 (तीन करोड़ तिरानवे लाख उनासी हजार तीन सौ साठ रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है। उपकरणों की संख्या एवं प्रति अद्द दर निम्नप्रकार है :–

Sl.	Name of Equipments	Estimated Rate per unit	No. of Equipments	Estimated Total cost
1.	Comparison Microscope	11000000	02	22000000
2.	G.C with Head space	8000000	02	16000000
3.	Compound Microscope	1500000	02	3000000
4.	Water Purification System	100000	02	200000
			Total	**41200000**
				(Four crore Twelve Lakh Only)

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 3,93,79,360 (तीन करोड़ तिरानवे लाख उनासी हजार तीन सौ साठ रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट शीर्ष–''2055–पुलिस–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण उपशीर्ष–0102–पुलिस प्रशासन एवं ढाँचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु'' विपत्र कोड–P2055001150102 एवं विषय शीर्ष–52 01–मशीने एवं उपस्कर, राज्य योजना स्कीम कोड–HOM–5416 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

5. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

7. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

8. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

9. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–6 / योजना–01–56 / 2016गृ0आ0 के पृष्ठ सं0–2 / टि0 पर दिनांक–14.10.2016 को प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–6 / योजना–01–56 / 2016गृ0आ0 के पृष्ठ सं0–4 / टि0 पर दिनांक–21.10.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6 / योजना–01–56 / 2016गृ0आ0.......8595......... / पटना, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना / अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

मनजर
26.10.2016